अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

पुखराज बनाम श्रवण वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 251क मु0नं0–61/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रकरण 251क आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 59 वाके गाम गढ तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि पर आने जाने व साधन ले जाने के लिए वर्तमान खसरा संख्या 119 गै0मु0 रास्ता से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 118 ग्राम गढ से होता हुआ प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 59 तक जाता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 118 में होकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस आशय का जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं अप्रार्थी 1 के जवाब अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की मांग की। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रत्युत्तरदाता प्रार्थी को रास्ता देने को तैयार है किन्तु यदि प्रार्थी प्रत्युत्तरदाता के हिस्से की जितनी भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आए उतनी ही भूमि प्रत्युत्तरदाता को प्रत्युत्तरदाता की भूमि के लगते हुए प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 59 में से दे तो प्रत्युत्तरदाता को रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के पास प्रश्नगत भूमि में पहुच के लिए कोई रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि के लिए न्यूनतम दूरी ग्राम गढ के खसरा नम्बर 118 में होकर बनती है जिसकी लम्बाई 128 मीटर व चौडाई 4 मीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 512 वर्गमीटर है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। भूमि के बदले भूमि दिए जाने के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मातादीन बनाम हरीसिंह 2019 आर.आर.डी. 738 में माननीय बोर्ड के निर्णय का हवाला देते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि प्रतिकर से तात्पर्य किसी राशि से नहीं बल्कि यह किसी भी रूप में हो सकता है अर्थात इस नियम के अन्तर्गत सहमति से भूमि भी दी जा सकती है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ता ही वैकल्पिक मार्ग है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

पुखराज बनाम श्रवण वगै0

251(क) RTA 6/2025

अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 59 तक जाने हेतु खसरा नम्बर 118 में होकर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पेश नजरी नक्शे अनुसार 128 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का रास्ता (अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि के बदले भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से की भूमि के बदले डी.एल.सी. से दोगुना राशि पर) स्वीकृत किया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार बहरावण्डा एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। उक्त रास्ता इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि जो कि अप्रार्थी खातेदार श्रवण पुत्र बीरबल के हिस्से की है उसके बदले प्रार्थी पुखराज पुत्र गंगाराम की भूमि खसरा नम्बर 59 में से कम करते हुए अप्रार्थी की भूमि के लगते हुए अप्रार्थी को दी जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 2 घासी पुत्र बीरबल के हिस्से से रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर अप्रार्थी संख्या 2 को दी जावे। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार भूमि का हस्तान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में करने एवं राशि जमा करने के बाद स्वीकृत रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करें, जमा की गई राशि नियमानुसार खातेदार को देय होगी। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा